कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू

क्रमांक : जिविसेप्रा / 2026 / संविदा–सेवा /

दिनांक :

खुली बोली आमंत्रण सूचना 01 / 2026–2027

माननीय राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक 252 दिनांक 13.04.2026 के क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत में कम्प्यूटर मशीन विद् मैन, संविदा सेवा पर दिनांक 31.03.2027 तक लेने हेतु निम्नानुसार इस कार्य में संलग्न, विर्निदिष्ट बोलीदाता से दरें आमंत्रित की जाती है :–

कार्यालय नाम	पद व संख्या	अनुमानित व्यय राशि (रू.)	अमानत राशि 2% (रू.)	बिड प्रपत्र कार्यालय से जारी करना प्रारम्भ करने की तिथि	अंतिम तिथि
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू	कम्प्यूटर मशीन विद मैन (उच्च कुशल) **कुल 02 पद**	3,00,000	6,000	दि. 18.04.2026 प्रातः 07.30 बजे से	बिड प्रस्तुत करने का समय – दिनांक 23.04.2026 प्रातः 08.00 बजे तक बिड खोलने का समय दिनांक 23.04.2026 समय प्रातः 10.00 बजे

बोली प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें SPPP पोर्टल पर एवं जिला न्यायालय, चूरू की वेबसाईट https://churu.dcourts.gov.in/ पर देखी जा सकती हैं।

UBN NO

अध्यक्ष
लोक उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चूरू

क्रमांक : जिविसेप्रा / 2025 / संविदा / 2915-2919

दिनांक : 17.04.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर
2. लेखा शाखा, जिविसेप्रा, चूरू
3. सूचना बोर्ड, कार्यालय जिविसेप्रा / जिला न्यायालय / जिला कलक्टर चूरू
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, चूरू को भेजकर लेख है कि उक्त बोली जिला न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करे।
5. संबंधित कार्मिक, उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना को SPPP पोर्टल पर अपलोड करावें।

अध्यक्ष
लोक उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चूरू

Scanned with OKEN Scanner

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू

–: खुली बोली प्रपत्र :–

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम :–
2. डाक का पता :–
.....
3. फोन/मोबाईल नं.
4. ई–मेल
5. बैंक का नाम :–आईएफएससी कोड
खाता संख्या
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों (जहां आवश्यक हो) की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :–

क्र.स	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुसंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1959 या इण्डियन पार्टनर्शिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत				

7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष (2023–2024, 2024–25 व 2025–2026) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपकम/स्वायत संस्थाएं / परियोजनाएं /बोर्ड/ समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैकों में न्यूनतम 2 कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा :–

क्र.स.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				
2				
3				
4				

8. कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय बोली/प्राईस बिड में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				ईपीएफ दर	ईएसआई दर	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	GST	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि	13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	उच्च कुशल	9334/–	02		1213/–	303/–			

(उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेगी तथा केवल स्तम्भ 8, 9 व 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 8, 9 व 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियॉं अंकित की जायेगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. सामग्री राशि/सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि का अंकन पूर्ण रूपये में करना अनिवार्य है। पैसे में अंकित राशि, शून्य राशि, माईनस इकाई अंक राशि आदि अंकित करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी व बोलीदाता को कोई आपति नहीं होगी तथा बोलीदाता द्वारा बोली वर्तमान मं भारतीय प्रचलित मुद्रा में देनी होगी। यदि वर्तमान में प्रचलित दर से विपरित राशि बिड हेतु सर्विस चार्ज हेतु क्लेम की जावेगी तो बिड तकनीकी रूप से अस्वीकार की जावेगी।
4. बोलीदाता द्वारा जो भी सर्विस चार्ज अंकित किया जावेगा। वह उच्च कुशल मजदूरी दर जो वर्तमान में राशि को आधार मानकर किया जावेगा। दर भरते समय सभी कॉलम भरने अनिवार्य होगें तथा

Scanned with OKEN Scanner

ईपीएफ 13 प्रतिशत व ईएसआई 3.25 प्रतिशत जो उच्च कुशल मजदूरी के आधार पर गणना योग्य होगी, में कमी नहीं की जावेगी। कमी किये जाने पर बोलीदाता की बोली को अस्वीकार कर दिया जावेगा। प्राप्त राशि पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

5. उपापन समिति बोलीदाता के सर्विस चार्ज की दर 500/–रूपये प्रति ऑपरेटर प्रतिमाह रिर्जव प्राईस मानकर चलती है। अतः न्यूनतम दर भरे जाने की दशा में 500/–रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह के हिसाब से अन्तर राशि कार्यसम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रतिभूति बोलीदाता से प्राप्त की जावेगी जिस पर रिस्क ऑन कॉस्ट की शर्त लागू रहेगी।

6. बोलीदाताओं से समान दरे प्राप्त होने पर स्थानीय फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय स्तर पर भी यदि दरे समान प्राप्त होती है टर्नऑवर के आधार पर बोलीदाता का निर्धारण किया जावेगा। लघु उद्योग को केवल बोली प्रतिभूति व कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट दी जावेगी। अनुभव व टर्नओवर छूट मान्य नही होगी। इसमें किसी भी फर्म को एतराज करने का अधिकार नहीं होगा। उक्त शर्त को ध्यान में रखकर बिड प्रस्ताव भरे जावे।

7. बिड पर दो लिफाफा पद्धति लागू रहेगी। बोलीदाता अपने समस्त दस्तावेजात जैसे स्टॉम्प/चालान/डीडी (नीचे दिए गए कम संख्या 08 (08) में वर्णित तकनीकी योग्यताओं से संबंधित वांछित प्रपत्र) **तकनीकी बिड वाले लिफाफें** में प्रस्तुत करेगा तथा वित्तीय दर, (उपरोक्त बिन्दू संख्या 08 में दशार्ये अनुसार तालिका में) **वित्तीय दर वाले लिफाफें** में प्रस्तुत करेगा। उक्त दोनों लिफाफें एक बड़े लिफाफें में सीलबद्ध कर कार्यालय में प्रस्तुत किये जावेगें। लिफाफे पर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड स्पष्ट अंकित होना चाहिए। **"तकनीकी बिड"** पहले खोली जायेगी, तकनीकी बिड में पात्र पाये जाने पर ही **"वित्तीय बिड"** खोली जायेगी एवं बिड प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त/देखें जा सकते है। उपर्युक्तानुसार **बिड प्रपत्र मय निर्धारित शुल्क 500/–रूपये का चालान, मद 0075–00–800–52–01 में जमाशुदा इस कार्यालय में दिनांक 23.04.2026 को प्रातः 08.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं जो दिनांक 23.04.2026 को ही प्रातः 10.00 बजे उपस्थित बिड दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे।** किसी भी बिड को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार इस हेतु गठित उपापन समिति को होगा।

8. बोलीदाताओं की फर्म की निम्न सूची योग्यताऐं/अर्हताऐं होना अनिवार्य है:–

क्र. सं.	तकनीकी योग्यताऐं	वांछित प्रपत्र (उक्त के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जावेगी आरटीपीपी नियम 60 (4) के तहत किसी बोली को अर्हित नहीं बनाया जावेगा)
1	फर्म रजिस्ट्रेशन एक्ट	फर्म का जिस भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया गया हो, उसका प्रमाणन भी देना होगा। फर्म एनजीओ है तो एनजीओं में रजिस्ट्रेशन पार्टनरशीप है तो बिड की प्रति, अन्य राजस्थान दूकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958, या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत अथवा अन्य
2	बोली प्रपत्र शुल्क 500/– रू.	शुल्क जरिये चालान संबंधित हैड में जमा किया जाना चाहिए। डी डी/चैक स्वीकार्य नहीं होगें। चालान हैड **0075–00–800–52–01** है।
3	बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत (लघु, सुक्ष्म एवं आईएसआई ईकाइयों को 0.5 प्रतिशत)	प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट ***Secretary, District Legal Services Authority, Churu*** के नाम बनाकर प्रस्तुत किया जावेगा।
4	बोली के प्रत्येक दस्तावेजात पर हस्ताक्षर	बोलीदाता को बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सील लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। बिना हस्ताक्षर के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर माना जावेगा कि बोलीदाता को विभाग द्वारा जारी बिड की शर्त स्वीकार नहीं है। अतः उक्त बोलीदाता को बिना कोई सुनवाई कर बाहर कर दिया जावेगा।
5	बोलीदाता को किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, प्राधिकरण, निगम द्वारा ब्लैकलिस्टेड अथवा डिफॉल्टर/वर्ष 2023–24 का कर बकाया नहीं होना चाहिए।	राशि रूपये 50/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र (स्टाम्प फीस जरिये चालान भी जमा करवाई जा सकती है, उस दशा में हलफनामा साधारण कागज पर भी लिखकर चालान की प्रति साथ में संलग्न करनी होगी)
6	बोलीदाता के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वयंसत्यापित छायाप्रति अथवा कर में छूट संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे।
7	जीएसटी चालान की प्रति	जीएसटी के संबंध में माह फरवरी, 2026 तक की जीएसटीआर–9बी/समकक्ष जमा होने की प्रति भी संलग्न करे।
8	पैन नम्बर की प्रति	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

9	बोलीदाता फर्म के विरूद्ध कर बकाया नहीं होना चाहिए	संबंधित सर्किल के वाणिज्यिकर अधिकारी से वर्ष 2025–26 के सर्विस कर बकाया न होने का प्रमाण पत्र अथवा जीएसटीआर–9बी की प्रति संलग्न करनी होगी।
10	दिनांक 01 अप्रेल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक का ईपीएफ एवं ईएसआई चूकता/जमा की रसीद	बोलीदाता फर्म के पास पूर्ण वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक का ईपीएफ व ईएसआई चूकता/जमा की रसीद का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कर्मचारियों को अदा की गई राशि के आधार पर जमा से संबंधी अर्थात तर्कसंगत होना चाहिए।
11	लघु उधोग संबंधी प्रमाण पत्र	यदि बोलीदाता फर्म लघु उधोग की श्रेणी में आती है तो ऑनलाईन जनरेटेड लघु उधोग का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना होगा तथा लघु उधोग के संबंध में समय–समय पर जारी वित्त विभाग के आदेशों की पालना में कार्यवाही की जा सकेगी परन्तु बिड शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा। लघु उद्योग – उपापन कार्य से संबंधित होने पर ही छूट दी जावेगी।
12	आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र (This is basic quality management system that can be implemented in industries of any type)	फर्म का 9001:2015 आई एस ओ प्रमाण पत्र संलग्न किया जावेगा।
13	अनुभव	यदि हो तो अंकित करे।

–: अन्य विशिष्ट शर्तें :–

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें

1. Computer System- Includs the following items with specification

a. Computer-Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer of Higher speed, RAM 2/4 GB of higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger. 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Window, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB ports Windows 7 or higher, anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.
b. Printer – Black and White laser printer with speed 15 ppm or more for specific needs. Dot Matix/inkjet printer may be taken in lieu of kaser printer.
c. UPS – Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.

2- Trained Personnel

a. The Personnel should be Graduate, should have knowledge to operate computer in Windoww/Linux ennvirement, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheet and Internet Operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.
b. The Personnel shall have at last two year experience to typing in Hindi and English.

1. जॉब/कार्य :– प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है।

1- राजकीय कार्य दिवस में कार्यालय समयानुसार कार्य करना।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिन्टिग करना।
3. डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
4. एम.एस. वर्ड एम.एस. एक्सल, पावर पॉईन्ट आदि में कार्य करना।
5. ई–मेल करना/प्राप्त करना।
6. विभिन्न पोर्टल/मोड्यूल में सूचनाओं का अपलोड एवं अद्यतन करना।
7. ई–गवर्नेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।

3. विशिष्ट शर्तें

1. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किसे जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जाता है, के द्वारा बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
2. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलिट किया जायेगा।
4. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़/रद्दोबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा, सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा।
6. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) अवैध गतिविधि/अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल–चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिये।
7. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा अपेक्षित जॉब/कार्य नहीं करने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक/(ऑपरेटर) उपलब्ध करवायेगा।
8. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर धूम्रपान करने/अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने/गंदगी फैलान/नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा संवेदक/बोलीदाता द्वारा उक्त कार्मिक को इस उपापन संस्था से अनुबंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगायेगा जबकि अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की उसके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।
9. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य छोड़ने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
10. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव या उत्पीड़ने करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
11. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।
12. कार्य व्यवस्था अनुसार मैन विद मशीन को जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदाशहर, तारानगर में, विभाग की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाना होगा।
13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा :–

क.सं.	प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का नाम	पिता/पति का नाम	निवास पता	ई.पी.एफ. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6
1					

14. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
15. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
16. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
17. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
18. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेंगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
19. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
20. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की ही होगी। निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) कीराशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता/संवेदक/ बोलीदाता का होगा।
21. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
22. यदि संवेदक एवं कार्य कर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1984 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

Scanned with OKEN Scanner

23. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।

24. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

25. यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी।

26. प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

27. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नूसार संशोधित की जायेगी।

28. इस कार्यालय द्वारा विद्यामान दर संविधाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

29. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस विड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

30. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।

31. कार्य आदेश हेतु पात्र पाये जाने पर जिस बोलीदाता को कार्यआदेश दिया जायेगा, उसे कार्य आदेश से पूर्व 5 प्रतिशत देय धरोहर राशि (लघु एवं सुक्ष्म उद्योग वाली ईकाइयों को 01 प्रतिशत) विभाग में राष्ट्रीयकृत बैंक की डीडी *Secretary, District Legal Services Authority, Churu* के नाम जमा करवानी होगी एवं 500/– रू. के स्टाम्प पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित प्रारूप में करार निष्पादित करना होगा।

32. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

33. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आरपीपीटी एक्ट, 2012 एवं नियम 2013 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

–: घोषणा पत्र :–

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा। बोलीदाता को उपापन समिति द्वारा जारी समस्त शर्ते स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner